दिनांक 01.08.2016 (प्रथम सोमवार) को प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत धान अधिप्राप्ति, लक्षित ज0वि0प्र0 अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण तथा आधार सिडिंग के संबंध में आयोजित विडियो कॉन्फेसिंग की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम।
4. निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा VC में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं उपस्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बांका जिला से Link स्थापित नहीं हो पाया था तथा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के कारण VC बैठक में उपस्थित नही हो सके। इसी प्रकार पटना के जिला पदाधिकारी भी चालू विधानसभा सत्र के आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण VC में उपस्थित नहीं हो सके। बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर VC में समीक्षा की गयी :–

1. **सी0एम0आर0 का उठाव।**

प्रधान सचिव द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अंतर्गत अधिप्राप्त धान के परिप्रेक्ष्य में सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति की जिलावार समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में जिन जिलों के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत सी0एम0आर0 का उठाव नहीं किया गया है, उन जिलों से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। कतिपय जिला पदाधिकारियों यथा मधुबनी, गया, दरभंगा, औरंगाबाद, मधेपुरा, भोजपुर, कैमूर, मोतिहारी, कटिहार, लखीसराय, पटना एवं खगड़ियॉ जिला द्वारा बताया गया कि उनके जिला अंतर्गत शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 निर्धारित तिथि तक प्राप्त नही किया जा सका है। समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि गया जिला अंतर्गत 833 मे0टन सी0एम0आर0 प्राप्त करना अवशेष रह गया है एवं दरभंगा जिला में मात्र 85 प्रतिशत तथा मधुबनी, औरंगाबाद, मधेपुरा, भोजुपर, मोतिहारी, कटिहार जिलों में 92 प्रतिशत से लेकर 97 प्रतिशत तक सी0एम0आर0 अधिप्राप्त किया जा सका है। उपर्युक्त जिलों द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 जमा नही करने के लिए दोषी पैक्सों/जिला सहकारिता पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध प्राथमिकी/निलामपत्र वाद/अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है तथा शेष बचे दोषियों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

सभी जिलो से संगत मामले में जानकारी प्राप्त होने के उपरांत निदेश दिया गया कि दोषी पैक्स/कर्मी/पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाय। साथ ही चिन्हित पैक्स/कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि की वसूली करने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

2. **सी0एम0आर0 राशि भुगतान की समीक्षा**

प्रधान सचिव द्वारा सी0एम0आर0 की राशि के भुगतान के संबंध में उपस्थित सभी जिला पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी। जिला पदाधिकारी कटिहार, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, बेगुसराय, सीतामढ़ी, मुंगेर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल एवं बेतिया द्वारा बताया गया कि उनके जिलों में पैक्सों को भुगतान करने हेतु समतुल्य राशि उपलब्ध नहीं है।

निदेश दिया गया कि मामले की समीक्षा की जाय एवं जिन जिलो में सी0एम0आर0 भुगतान हेतु राशि उपलब्ध नही है, उन जिलो को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम एक सप्ताह के अंदर समुचित राशि उपलब्ध करा दें।

<u>3. प्रमादी मिलर</u> – सी0 एम0 आर0 उठाव एवं सी0एम0आर0 राशि की भुगतान के समीक्षोपरांत प्रधान सचिव द्वारा प्रमादी मिलरों के विरूद्ध लंबित मामलों एवं बकाये राशि की वसूली की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला पदाधिकारी कैमूर, पश्चिम चम्पारण, मधुबनी, बॉका, दरभंगा, नवादा, सारण, अररिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, गया, नालन्दा, सीतामढ़ी, बेतिया एवं पटना जिलों में प्रमादी मिलरों/दोषी कर्मियों से गबन की राशि वसूली हेतु/प्राथमिकी/सर्टिफिकेट केस/BW/DW दायर करने की स्थिति संतोषप्रद नही है। जिलों की जिलावार समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 1576.71 करोड़ वसूलनीय राशि के विरूद्ध मात्र 291.41 करोड़ राशि अबतक वसूल की जा सकी है। साथ ही कुल 2002 प्रमादी मिलरों में से 474 प्रमादी मिलर द्वारा पूर्ण राशि जमा की गई है तथा अवशेष 1528 प्रमादी मिलरो के विरूद्ध मात्र 1347 प्रमादी मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार अबतक 181 मिलरों पर प्राथमिकी, 47 प्रमादी मिलरों पर सर्टिफिकेट केस तथा 93 दोषी कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई जिला स्तर पर लंबित है। अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 13–14 में क्षति/गबन के लिए दोषी कर्मियों के विरूद्ध अबतक 69 दोषी कर्मियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज नही हो पाया है तथा 64 दोषी कर्मियों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ नही की जा सकी है। विगत विडियो कॉन्फ्रेसिंग बैठक में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निदेशों को स्मरण कराते हुए प्रधान सचिव द्वारा उल्लेख किया गया कि अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 13–14 में जिन प्रमादी मिलरों/कर्मियों के द्वारा धान/चावल का गबन/क्षति किया गया है, उनके विरूद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलामपत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जाय। परन्तु इस संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिलों के द्वारा शत–प्रतिशत प्रमादी मिलरो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नही की जा सकी है तथा उनके विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर किये जाने की स्थिति भी समुचित नही है।

निदेश दिया गया कि विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाय स ाथ् ही अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 13–14 के लिए दोषी प्रमादी मिलरों/कर्मियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली की कार्रवाई हेतु निलामपत्र वाद दायर करने की कार्रवाई अविलंब की जाय। PDR Act के तहत प्रमादी मिलरों/दोषी कर्मियों के विरूद्ध निलामपत्रवाद दायर करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 3179 दिनांक 27.05.2016 द्वारा दिये गये निदेश का उल्लेख करते हुए उसका अंक्षरशः अनुपालन किये जाने का भी निदेश दिया। साथ ही प्रमादी मिलरों/दोषी कर्मियों के विरूद्ध प्राथमिकी दायर करने के समय इस आशय का उल्लेख अवश्य करने हेतु निदेश दिया गया कि दोषियों द्वारा Criminal Misconduct के तहत इरादतन (Menseria) सरकारी राशि का गबन किया गया है।

3. <u>खाद्यान्न उठाव।</u>

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अंतर्गत सी0एम0आर0 प्राप्ति की समीक्षा के पश्चात प्रधान सचिव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उठाव की समीक्षा की गई। राज्य अंतर्गत खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के क्रम में पाया गथा कि कतिपय जिलो यथा भागलपुर, दरभंगा, वैशाली, भोजपुर एवं पटना में खाद्यान्न के उठाव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। प्रधान सचिव द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए इन जिलों के जिला प्रबंधकों को निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव शत् प्रतिशत करना राज्य खाद्य निगम की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है तथा किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न को व्ययगत नहीं कराया जाय। खाद्यान्न उठाव के संबंध में प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिवहन अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गयी है तथा परिवहन अभिकर्त्ताओं के साथ एकरारनामा किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रधान सचिव को आश्वस्त किया गया कि माह अगस्त 2016 से खाद्यान्न का उठाव शत प्रतिशत कर लिया

जायेगा। मुख्य सचिव द्वारा सम्पन्न दिनांक 18.07.2016 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम सभी जिला पदाधिकारी को आदेश निर्गत करेंगे कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परिवहन समिति की अनुशंसा प्राप्त कर परिवहन अभिकर्ता की नियुक्ति जिला द्वारा की जाएगी । प्रश्नगत मामले में भारतीय खाद्य निगम के उपस्थित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों के उठाव में राज्य खाद्य निगम के साथ कोई समस्या नहीं है। प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के उपस्थित पदाधिकारी के आश्वासन के पश्चात प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलो में खाद्यान्न उठाव कम मात्रा में हुए है उसके लिए जिला में पदस्थापित जिला प्रबंधकों की सम्पूर्ण जिम्मेवारी बनती है और उनका यह दायित्व बनता है जिला अंतर्गत खाद्यान्न उठाव शत प्रतिशत किया जाय।

4. <u>आधार सीडिंग</u>

राज्य में आधार सीडिंग के मामले की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव द्वारा उपस्थित जिला पदाधिकारियों को बताया गया कि भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य में आधार कार्ड का सीडिंग कार्य प्रारम्भ किया गया है। साथ ही संदर्भित मामले में मुख्य सचिव द्वारा भी समय–सीमा अंतर्गत कार्य पूर्ण कर लिये जाने का निदेश दिया गया है। परन्तु जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आधार सीडिंग का कार्य राज्य में संतोषप्रद नही हो पाया है।

जिलावार आधार सीडिंग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना, बांका, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी0 चम्पारण, पं0 चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज एवं अररिया जिला में 20 प्रतिशत से भी कम सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हो पाया है, जो अत्यंत ही चिंताजनक स्थिति है। कतिपय जिलों द्वारा आधार सीडिंग का कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर तथा राशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध किया गया।

सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन जिलों में आधार सीडिंग सर्वेक्षण का कार्य 20 प्रतिशत से कम हुआ है, उन जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछ कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय। चूँकि आधार सीडिंग का कार्य निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत सम्पन्न किया जाना है और सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर भारत सरकार को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसे प्राथमिकता दी जाय एवं समय–सीमा के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाय। साथ ही जिन जिलों में उपर्युक्त कार्य हेतु सॉफ्टवेयर तथा राशि उपलब्ध नहीं है उन जिलों को शीघ्र ही एन0आई0सी0 से सॉफ्टवेयर प्राप्त कर राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. <u>उपभोक्ता मामले</u>

उपभोक्ता मामले के समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा जिला स्तर पर उपभोक्ता परिषद के गठन, जिला उपभोक्ता फोरमों में कॉन्फोनेट योजना लागू करने तथा जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्ति एवं कार्यरत बलों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि :–

1. जिला पदाधिकारी, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, सारण, मुजफफरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, लखीसराय, जमुई, भागलपुर एवं अरवल जिलो से अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत करने के बावजूद भी जिला स्तरीय उपभोक्ता परिषद के गठन हेतु सदस्यों की सूची अबतक उपलब्ध नही करायी जा सकी है।
2. इसी प्रकार जिला पदाधिकारी, रोहतास, बक्सर, जहानाबाद, सीवान, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय, शेखपुरा तथा अरवल जिलो से राज्य अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरमों में कॉन्फोनेट योजना लागू करने के संबंध में वांछित प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है।
3. जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्त एवं कार्यरत बलों की भी समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि विहित प्रपत्र में मांगी गयी सूचनाएँ भी विभाग को अबतक अप्राप्त है।

निर्देश दिया गया कि जिला उपभोक्ता फोरमों के सुदृढ़ीकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर की गयी है एवं उक्त याचिका में निर्धारित आगामी सुनवाई 28.08.2016 के पूर्व न्यायालय को उपर्युक्त बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति से अवगत करायी जानी है, इसलिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त मामलों में एक सप्ताह के अंदर विभाग को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि माननीय उच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। विभाग के स्तर पर भी उपर्युक्त मामले में प्राप्त प्रतिवेदन की प्रत्येक दिन समीक्षा की जाय एवं समीक्षोपरांत शेष बचे जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(डा0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव
5/8

ज्ञापांक --प्र010/ 9 वि0अधि0 07-/2011 - 4832 खाद्य/पटना/दिनांक 5.8.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।
5/8